दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 63 ❑ अंक-8 ❑ दिल्ली ❑ जनवरी, 2025 (द्वितीय) ❑ मूल्य : 2 रु.

सामाजिक समता में साहित्य व मास–मीडिया का उत्तरदायित्व

• डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

भारतीय दर्शन की दृष्टि में सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। यहां 'यह मेरा–यह तेरा' की कोई अवधारणा नहीं है। इस विषय में वेदों में स्पष्ट उद्घोष है :

अयं निजः परोवेति
गणना लघुचेतषाम्।
उदारचरितानां तु
वसुधैव कुटुम्बकम्।।

इसीलिए परिवार के सभी लोगों को सुखी, निरोगी रहने और उन पर कभी भी किसी दुःख की छाया नहीं पड़ने की कामना की गई है–

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
कश्चिद् दुःख भागभवेत्।।

यही नहीं, वे सभी का एक साथ रहने, एक साथ भोजन करने तथा सभी के तेजस्वी बनने की प्रार्थना की गई हैं–

ओ3म सह नः भवतु, सह नः घनतु,
सह वीर्यं करवावहे।
माविद् विषावहे।।

ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में भी इसी भावना को पुनः दर्शाया गया है–

संगच्छध्वं सं वदध्वं संवो
मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सं
जनानां उपासते।।

अर्थात् हम सब मानव भली प्रकार मिलकर रहें, प्रयोगपूर्वक आपस में वार्त्तालाप करें। सब के मनों में एकता का भाव हो और वे सब अविरोधी ज्ञान प्राप्त करें।

समानी व आकूतिः समाना
हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो
यथा वः सुसहासति।।

यानी सभी लोगों के संकल्प, निश्चय और अभिप्राय एक समान हों, सब के मन में एक उच्च कामना हो, और सभी लोग सहयोगपूर्वक सुख–सम्पदा के साथ प्रेमपूर्वक रहें।

ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण 'शान्ति मंत्र' है जिसमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, अन्तरिक्ष, पृथ्वी पर शान्ति की कामना करते हुए जल, औषधि व वनस्पति के शान्ति प्रदान करने और विश्वदेव व सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा से भी सभी को शान्तिपूर्ण जीवन प्रदान करने की कामना की गई हैं–

ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः
शान्ति पृथिवी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्ति वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्माः
शान्तिः सर्वऽशान्ति
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि।
ओ3म शान्ति शान्ति शान्ति।।

वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट है कि वेदों के सृष्टा, रचनाकार ऋषि मानवता के उद्धार के लिए 'शान्ति' को कितना अनिवार्य और आवश्यक मानते थे। उनकी दृष्टि में 'शान्ति' मानव की जीवन रेखा थी जिसके बिना मनुष्यों का जीवन कष्टपूर्ण एवं अधूरा था। शान्ति के वातावरण में ही मानव के विकास, पेड़–पौधों की बढ़ोत्तरी, जल वायु की शुद्धता और पशु–पक्षियों का कलरव व सौंदर्य सम्भव था। इसी शान्ति की शाश्वत स्थापना के लिए वैदिक ऋषियों ने ऋग्वेद के साथ यजुर्वेद, सामवेद और आथर्वेद की रचना भी की ताकि मानव सुखी व सम्पन्न जीवन के लिए 'शान्ति' के महत्व को सर्वोपरि रखे।

वेदों के अलावा आचार्य चाणक्य ने भी अपने नीतिशास्त्र में 'शान्ति' को सबसे बड़ा तप बताते हुए कहा–

शान्ति तुल्य तपो नास्ति,
न सन्तोषात् परंसुखम्।
न तृष्णायाः परा व्याधिर्न च
धर्मोदया परः।।

उन्होंने एक अन्य श्लोक में 'शान्ति' को पत्नी तुल्य बताकर उसकी सर्वोपरि महत्ता दर्शाई गई है–

सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता
दया स्व सा।
शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम
बान्धवाः।।

पूर्व वैदिक काल में 'वर्णभेद' नहीं था, अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग वर्ग थे जहां एक वर्ग का व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना कार्य बदलकर दूसरे वर्ग में जा सकता था। उत्तर वैदिक काल में यही 'वर्गभेद', 'वर्णभेद' में परिवर्तित हो गया। पहले जो व्यवस्था 'कर्म' पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित हो गई। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के 'पुरुष सूक्त' में वर्णों की उत्पत्ति सम्बन्धी यह मंत्र दृष्टव्य है :

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहू
राजन्य कृत।

(शेष भाग... पृष्ठ 4 पर)

सम्पादकीय

भारतीय संविधान में संस्कृति की झलक

अगर आप किसी पुस्तक विक्रेता से संविधान की नवीनतम प्रति (संशोधित) खरीदें तो भी आप संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षरित और पारित संविधान की झांकी नहीं पा सकते। भारतीय गणतंत्र के स्वर्ण जयंती साल में संविधान की उस मूल प्रति का पुनर्प्रकाशन हुआ और उसे सांसदों के बीच बांटा गया। उसमें आपको संविधान के हृदय की धड़कन मिल जाएगी। सनातन भारत की जीती जागती तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। पूरे संविधान में कुछ पृष्ठों के बाद कुल मिलाकर 22 ऐसे रेखाचित्र दिए गए हैं। संविधान के इन रेखाचित्रों की सूची को विभिन्न काल खंडों में विभाजित किया गया है। आप इस सूची में सनातन भारत का सत्य देख सकते हैं। यहां पेश है इतिहास के इन अध्यायों का संविधान में दर्ज क्रमबद्ध ब्यौरा :

1. मोहन जोदड़ो काल।
2. वेदिक काल।
3. वीरगाथा काल।
4. महाजनपद और नन्दकाल।
5. मौर्यकाल।
6. गुप्त काल।
7. मध्ययुग।
8. मुस्लिम काल।
9. ब्रिटिश काल।
10. स्वतंत्रता आंदोलन काल।
11. स्वतंत्रता के लिए क्रांति काल।

इन सभी काल खंडों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेखाचित्रों से संविधान को मूल्यों से लयबद्ध पेश किया गया है। यह सजावटी रेखाचित्र नहीं है। इसमें सनातन भारत का प्राण प्रवाह परिलक्षित होता है। पहले ही पृष्ठ पर मोहनजोदड़ो के काल की मोहर प्रकाशित की गई है।

वैदिक काल का प्रतिनिधित्व आश्रम (गुरुकुल का एक दृश्य) अंकित किया है। यह पृष्ठ तीन पर है। वीरगाथा काल का प्रतिनिधित्व दो चित्र कर रहे हैं। रामायण का एक चित्र है जिसमें राम की लंका विजय का अभियान और सीता की वापसी। इसी तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया गीता का संदेश चित्रित है। नन्दकाल में बुद्ध के जीवन की एक तस्वीर है। उसी काल का प्रतिनिधित्व महावीर का रेखाचित्र भी है। मौर्यकाल में बौद्ध धर्म के प्रसार का चित्रण किया गया है। मौर्य काल में सम्राट अशोक के जमाने में देश और विदेश में बौद्ध धर्म के प्रसार का चित्रण किया गया है। गुप्तकाल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के चरण अंकित हैं। इसी काल के लिए विक्रमादित्य के न्यायपीठ और नालंदा विश्वविद्यालय के दृश्य हैं।

आमतौर पर भारत के मध्यकाल के इतिहास को मुस्लिम काल के साथ जोड़ कर देखने का चलन मार्क्स और मैकालेवादी इतिहासकारों ने चला रखा है। लेकिन संविधान में जिन तीन चित्रों से मध्यकाल का चित्रण किया गया है उसमें सभी हिन्दू प्रतीक हैं।

उड़ीसा की एक कलाकृति, नटराज की मूर्ति और महाबलीपुरम शैली की एक मूर्ति जिसमें भागीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण का दृश्य चित्रित है। अब तक के इस वर्गीकरण में एक दिलचस्प बात है। गुप्त साम्राज्य के अंत से मध्य काल प्रारम्भ होता है और मुस्लिम राज्य स्थापित होने तक मध्यकाल

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/-
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/-
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/-
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	100/-
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/-
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
मेरे साक्षात्कार—मेरा जीवन संघर्ष	डा. सुमनाक्षर	300/-
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/-
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	100/-
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	100/-
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	100/-
दलित साहित्य—दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/-
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/-
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/-
बौद्ध धर्म—गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/-
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/-
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	100/-
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	100/-
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	200/-
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए अग्रिम राशि निम्नलिखित अकादमी के खाते में भेजें

Bharatiya Dalit Sahitya Akademi
A/c No. - 2592101012292 (Canara Bank)
IFSC - CNRB0002592
Branch - Model Town, Delhi

का सातत्य बना रहा है। असरदार तौर पर यह सनातन हिन्दू भारत का सातत्य ही है। संविधान में यह दर्शाया भी गया है। मुस्लिम काल के पहले का सनातन भारत का पूरा कालखंड वही है जिसे विदेशियों ने 'हिन्दू' नाम दिया या जिसे सनातन भारत कहते हैं।

यह बहुत दिलचस्प है कि संविधान के इस कालखंड विभाजन में किसी काल को 'हिन्दू कालखंड' नहीं कहा ही गया है और न ही किसी को मत पंथ के आधार पर कालखंड का नामांकन किया गया है। किसी कालखंड को किसी मत पंथ के हवाले भी नहीं किया गया है। अशोक के काल को बौद्धकाल नहीं कहा गया है। समुद्रगुप्त के काल को वैष्णव काल नहीं कहा गया है। हर्षवर्धन के काल को शैव काल नहीं कहा गया क्योंकि सनातन भारत के काल में राजा किस मत का है, इससे राज व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता था। संविधान निर्माताओं ने अपने काल विभाजन से पंथ निरपेक्षता के इसी धारा को रेखांकित किया है।

संविधान के पृष्ठों पर दिए गए चित्रों को मनमाने ढंग से नहीं रख दिया गया है। एक सुविचारित सभ्यतागत और ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें सनातन भारत के मूल्यों को प्रतीकारात्मक ढंग से संजोया गया है। यह नहीं कि इसमें सम्पूर्ण हिन्दू विरासत को समेटा जा सका हो, सांकेतिक रूप से ऐसा करने का प्रयास किया गया है। लेकिन संकेतों से यह साफ है कि जिन्हें हिन्दू समाज अपनी सभ्यतागत आचरण को कीर्तिमान समझता है उसका कहीं दुर्लक्ष्य नहीं हुआ है।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गीता के संदेश देते कृष्ण, शौर्य और सेवा के प्रतीक हनुमान, भगवान बुद्ध और महावीर के प्रतिपादित महान पंथ शिक्षा और ज्ञान विज्ञान को परम महत्व देने वाले गुरुकुलों और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के चित्रण आसुरी शक्ति से संघर्ष की गाथाएं विभिन्न मतों और विचारों को मानने की स्वतंत्रता जैसे सम्पूर्ण परम्परागत थातियों को हमारे संविधान निर्माता इन चित्रणों से भारत के संविधान को सौंपते हैं।

संविधान की इस रेखाचित्रण में मुस्लिम काल से तीन प्रतिनिधि उठाए गए हैं। अकबर, शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह। अपनी उदारता के कारण मुस्लिम राजसत्ता से इस्लामिक प्रभुत्व कायम करने की प्रवृत्ति से बचने और न्यूनतम हिन्दू विरोधी होने के अपने गुणों के कारण अकबर के जरिए मुस्लिम काल का प्रतिनिधित्व आश्चर्यजनक नहीं लगता। बल्कि दूसरे दो महापुरुषों, शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह के चयन से संविधान की दृष्टि साफ हो जाती है।

ये दो ऐसे योद्धा थे जो औरंगजेब जैसे आततायी शासक से टकराते रहे। इन चित्रों के चयन से यह भी रेखांकित है कि मुस्लिम काल में भी सनातन भारत संघर्षरत रहा। ब्रिटिशकाल का प्रतिनिधित्व टीपू सुल्तान और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चित्रण से हुआ है। यह दोनों अंग्रेजों से संघर्ष के प्रतीक हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल का प्रतिनिधित्व रेखाचित्रों की तालिका में महात्मा गांधी कर रहे हैं।

महात्मा गांधी को अपने हिन्दू होने का गर्व था। वह 'हिन्द स्वराज' और 'राम राज्य' के दर्शन को आखिरी सांस तक उजागर करते रहे। गोडसे की गोली लगने के बाद भी उन्होंने 'हे राम' का उच्चारण किया था।

स्वतंत्रता के क्रांतिकारी चरण का प्रतिनिधित्व संविधान से सुभाषचन्द्र बोस के चित्रण से किया गया है। स्वतंत्रता की जैसी खून खौला देने वाली चाहत और आग सुभाषचन्द्र बोस ने पैदा की थी, वैसी किसी दूसरे नेता में नहीं। खासकर स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी चरणों में। अगर महात्मा गांधी आम भारतीय के प्रेरणा पुरुष थे तो युवाओं के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा करने वाली सर्वोच्च चिंगारी सुभाषचन्द्र बोस ने पैदा की थी। वह प्रतीक चित्र सनातन भारत की अटूट सभ्यता के प्रवाह को प्रदर्शित करता है।

इसके कुछ निहितार्थ बिलकुल साफ हैं। अनेक लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र था ही नहीं, यह नया राष्ट्र बना है। इस संविधान के तहत तो लोग संविधान की मूल प्रति देख सकते हैं। वह इस झूठ को हरगिज नहीं पचा सकते। उन्हें सविधान भर में फैले रेखाचित्र का ऐतिहासिक तारतम्य साफ नजर आएगा।

पांच हजार साल से भी अधिक कालखंड के राष्ट्र व जीवन को नया राष्ट्र कहने की बात निरीह मूर्खता हो सकती है या फिर षड्यंत्रकारी धूर्तता। दूसरी बात जो इससे साफ निकलकर आती है वह है सनातन और हिन्दू भारत का सभ्यतागत अखंड सातत्य, जो मुस्लिम काल में भी खंडित नहीं हुआ। सातत्य का संघर्ष चलता रहा। तीसरी बात है सेक्युलर चरित्र की। भारत में कभी भी मजहबी राज्य नहीं रहा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे रेखांकित किया है। आज राजनीतिक शब्दावली में 'सेक्लुयर' और 'साम्प्रदायिक' का चलन जोरों पर है।

संविधान निर्माताओं ने संविधान में 'सेक्युलर' शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया। यह नहीं कि संविधान निर्माताओं के ध्यान में यह शब्द था ही नहीं। इस शब्द को संविधान निर्माताओं ने बाकायदा अस्वीकार किया। लगता है भावना यही थी कि देश की सनातन हिन्दू प्रथा में इस शब्द की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मजहबी राज्य की अवधारणा सनातनी भारतीय परम्परा के लिए अपच्य है।•

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र
अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे अब यह आन लाईन 'यू-ट्यूब' पर उपलब्ध है। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसके लिए आप वार्षिक शुल्क 500/- Payphone पर भेज सकते हैं।
सम्पादक :
हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9
मो. 9810278936,
9891989175

पृष्ठ 1 का शेष....सामाजिक समता में साहित्य व मास-मीडिया का उत्तरदायित्व

उरू तदस्य यद वैश्यः पदेभ्यां शूद्रों अजायत।।

(ऋग्वेद 10–90–22)

इस मंत्र में मनुष्य को चार भाग (वर्ण) में बांट दिया गया। इसमें कहा गया कि प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्री, उरू (पेट) से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए।

ऋग्वेद के इस मंत्र ने आर्यों को यह बताकर कि वे प्रजापति ब्रह्मा के अंग हैं, उन्हें सम्मान के शिखर पर पहुंचा दिया और शूद्रों को उसके पावों से पैदा बताकर स्पष्ट कर दिया कि उनका स्थान पैरों के नीचे है और उनको सदैव दबाकर, कुचलकर रखने में ही भला है।

उत्तर वैदिक काल के इस पुरुष सूक्त ने ही समाज में विघटन पैदा कर दिया। एक ओर ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य वर्ण सर्वाधिक सम्मानीय हो गया, वहीं शूद्र वर्ण निकृष्ट, घृणीत, अस्पृश्य के स्तर पर पहुंच गया। बस, यहीं से वर्ग व वर्ण संघर्ष शुरू हुआ और वेदों में जिस शाश्वत शान्ति की कामना की गई थी, उसका 'अशान्ति' में परिवर्तन शुरू हुआ। वेदों के बाद रचे गये ग्रन्थ मनुस्मृति, धर्मसूत्र, रामायण और महाभारत ने इस वर्णव्यवस्था को और ज्यादा खुलासा के साथ दोहराया। इनमें जहां आर्यों के लिए अलग अधिकार व दण्ड विधान की व्यवस्था थी, वहीं अनार्य शूद्रों के लिए अधिकार विहीन कर्त्तव्यों के साथ कठोर दण्ड व्यवस्था का प्राविधान रखा गया। इसका परिणाम यह निकला कि वैदिक काल का वह शान्तिपूर्ण वातावरण उत्तर वैदिक काल में अशान्ति से परिपूर्ण हो गया, जहां अपने अधिकार व सम्मान के लिए सवर्ण आर्यों व अनार्य शूद्रों में सीधा संघर्ष शुरू हुआ। मनुस्मृति ने तो इसमें आग का काम करते हुए मानव मानव को अलग अलग वर्ग व वर्ण मं बांट दिया। शूद्रों के विद्या अर्जन पर पाबन्दी लगाते हुए उनके धन संग्रह करने, धर्मोपदेश सुनने या देने का निषेध करते हुए उनका कार्य सिर्फ द्विज (सवर्ण, आर्यों) की सेवा करना निर्धारित किया। जूठन खाने, उतरन पहनने और जमीन पर नीचे पुआल बिछाकर सोने का उनके लिए विधान है। जीवन भी उनका अपना नहीं है, वह भी उनके स्वामी का है–

एकमेवतु शूद्रस्य प्रभु
कर्म समादिशत्।
एतेषामेव वर्णानां
शूस्त्रुषानामनासूयया।।

(मनु. 1–19)

मनु, वशिष्ठ, अत्रि, नारद, व्यास स्मृतियों की तरह धर्मसूत्र, गृहसूत्र आदि धार्मिक ग्रन्थों ने शूद्र के लिए सिर्फ 'सेवा' का विधान रखते हुए उलंघन करने पर कठोर सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थायें निर्धारित कीं। विष्णु धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तम्ब, बौधायन और चाणक्य के अर्थशास्त्र की तरह शंकराचार्य ने भी अपने 'शंकर भाष्य' में शूद्र के लिए व्यवस्था दी कि यदि वह वेद सुने तो उसके कानों में रांगा और लाख भर दें–

श्रवण प्रतिषेध स्तावद अथास्य
वेदमुपश्रृण्वतस्त्र।
पुजम्यां श्रोत्र प्रतिपूरणम्।
शमशानवच्छून्द्रः।
तस्मार शूद्र समीप नाध्येतव्यञ्च।।

इसके साथ ही मनुस्मृति ने स्त्री व शूद्र को एक ही स्तर व वर्ग में लाते हुए व्यवस्था दी कि 'स्त्रीशूद्रों नाधीयताम्' यानि स्त्री व शूद्र का विद्या अर्जन निषेध है। इसका परिणाम यह निकला कि तीन चौथाई आबादी अशिक्षित, अनपढ़ व अज्ञानी हो गई। इसके दुष्परिणाम के विषय में महात्मा ज्योतिबा फूले को कहना पड़ा–

विद्या बिन गई मति।
मति बिन गई नीति।
नीति बिन गई गति।
गति बिन गया वित्त।
वित्त बिन चरमराये शूद्र।
एक अविद्या ने किए इतने अनर्थ।।

देश की तीन चौथाई आबादी को उसके मानवीय अधिकारों से वंचित करने से अशिक्षा, अकर्मण्यता, धर्म भीरूता ने जन्म लिया। इससे समाज में पनपी अशान्ति, असन्तोष, असमानता। इससे इन्सान इन्सान में भेदभाव, ऊंच–नीच की भावना, जात–पात, छुआछात बढ़ने से देश की शान्ति व अमनचैन भंग हो गई। इस इंसानी भेदभाव की खाई को पाटने और देश व समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध व भगवान महावीर आये जिन्होंने सामाजिक ऊंच–नीच व भेदभाव के खिलाफ प्रचार किया और समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए 'अहिंसा परमो धर्म' का मूलमंत्र दिया। इससे समाज में समरसता व सौहार्दता पैदा हुई और शान्ति का वातावरण बना।

भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा–

चरवैति चरवैति भिक्कुथे
बहुजन हिताय,
बहुजन सुखाय।

बुद्ध के दर्शन से समाज में जो समता व शान्ति आई थी और भारत प्रगति के शिखर पर जाने लगा था तभी ब्राह्मणवाद ने फिर सिर उठाया और पुष्यमित्र शुंग ने भारत का महाराजा बनते ही मनुस्मृति का दंड–विधान पुनः लागू कर दिया। इससे शान्ति व अहिंसा का जनक बौद्ध धर्म भारत से खत्म होकर विदेश पलायन कर गया। इसके बाद जात–पात व वर्णव्यवस्था और कठोर होने से देश में अशान्ति, अलगाव, असमानता, घृणा इस कदर बढ़ी कि देश रक्षा शक्ति में कमजोर होने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम हो गया जिन्होंने देश की धन–दौलत को खूब लूटा और खुलकर कत्लेआम किया।

इस मध्यम युग में समाज को एकजुट करने का बीड़ा सन्त–महात्माओं ने फिर उठाया। जात–पात व धार्मिक भेदभाव मिटाकर इन्सानों को जोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा–

फकड़ जाती फकड़ नाड।
सभना जीया हका छाड।
आपहु जे को भला कहाए।
नानक तापर जापै जा पति लेखे पाए।।

आगे उन्होंने कहा–

नीचां अंदरि नीच जाति
नीचीहू अति नीच।
नानक तिनके संगि साथि
बडियां हिउं किआ रीस।
जिथे नीच समाली अनि
तिथे नदरि तेरी बखसीस।।

उन्होंने हिन्दू–मुस्लमानों के बीच सामाजिक सद्भावना पैदा करने के लिए कहा–

बाबा नानक शाह फकीर।
हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर।।

सद्गुरु कबीर ने भी जात–पात का डटकर खंडन किया–

जाति जाति का पाहुना
जाति जातियें जाप।
साहब जाति अजाति है
सब जातिन में जाय।।

उन्होंने भी हिन्दू–मुस्लमानों में भी धार्मिक सद्भावना कायम करने के लिए कहा–

हिन्दू कहे मोहि राम पियारा,
मुसलमान रहिमाना।
आपस में दोऊ लरि लरि मरे,
राम न कोई जाना।।

गुरु रविदास जी सामाजिक समता के प्रबल पक्षधर थे जिससे कि देश में शान्ति और सद्भावना का वातावरण बना रहे। इसीलिए उन्होंने कहा–

जात–पात पूछे ना कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई।
रविदास उपजइ सब
एक नूरते ब्राह्मन मुल्ला शेख।
सबका करता एक है,
सभकूं एक ही पेख।।

गुरु रविदास जी ने आगे कहा–

रविदास ना बामण पूजिये,
जो हो गुन ज्ञान हीन।
पूज पांव चांडाल के,
जो हो ज्ञान परवीन।।

उन्होंने देश में शाश्वत शान्ति स्थापित करने के ऐसे 'सुराज' का सपना देखा था–

ऐसा चाहूं राज मैं
जहां मिले सबन को अन्न।
छोट–बड़ो सभ सम बसैं,
रविदास रहे प्रसन्न।।

इन सब महापुरुष गुरुओं के धार्मिक सद्भाव व मानव समरसता के शान्तिमय वातावरण पर गोस्वामी तुलसीदास ने मनुस्मृति की उन्हीं असामाजिक, अमानवीय धाराओं का गुणगान करते हुए प्रहार किया–

पूजिए विप्र ज्ञान गुन हीना।
न हिं शूद्र गुन गान प्रवीण।।

गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' में वर्ण व जाति भेदभाव को यह कहकर शिखर पर चढ़ा दिया–

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी,
जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा
स्वपच, किरात, कोल, कलवारा।

जातीय विषमता बढ़ने से मनुष्य के समानता के मौलिक अधिकार का हनन होता है जिससे पारस्परिक द्वेष बढ़ता है। द्वेष, दुश्मनी बढ़ने से असन्तोष व कलह बढ़ता है और इसी से शान्ति का विनाश होता है। आज भारत ही क्या, पूरे विश्व में आतंकवाद, असन्तोष और अलगाव का वातावरण बना हुआ है। इसका मुख्य कारण इंसानी भेदभाव, मानवीय अधिकारों का हनन, दूसरों को दास बनाये रखने की प्रवृत्ति, अपना एक छत्र राज्य कायम करने की कामना और अपने को सर्वोच्च नस्ल का बताने की भावना है। इन कुप्रवृत्तियों एवं अनुचित भावना के कारण आज दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में इसका दुष्परिणाम सृष्टि का सर्वनाश होगा।

गांधी जी ने इस सर्वनाश से विश्व को बचाने के लिए भगवान बुद्ध व भगवान महावीर की तरह 'अहिंसा' का मार्ग दिखाया। उन्होंने पुराणों की तर्ज पर कहा–

वैष्णव जन तो तैने कहिये
जे पीड़ पराई जाने रै।।

उन्होंने दलित व वंचितों को समाज में समता, सम्मान, न्याय दिलाने का महान कार्य किया। हिन्दू मुस्लिम के बीच धार्मिक सद्भाव पैदा करने के लिए उन्होंने स्वयं का बलिदान दे दिया। गांधी जी ने देश में शान्ति का वातावरण बनाने में अपना सर्वस्व लगा दिया।

आज 21वीं सदी 'प्रिंट–मीडिया' व 'इलेक्ट्रिक–मीडिया' की है। जनता के बीच वह मानवता का अच्छा प्रचार कर लोगों का दिल जोड़ सकता है। मानवकृत जात–पात, ऊंच–नीच, वर्ग–वर्ण भेदभाव, श्वेत–अश्वेत का भेदभाव, भाषा व प्रदेश का भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, रीति–रिवाजों का भेदभाव के विरुद्ध विश्व–स्तर पर प्रचार करके 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यानि 'विश्व एक परिवार है' की भावना जाग्रत कर सकता है। इसी भावना से जाति, भाषा, लिंग, रंग, देश प्रदेश के भेद मिटाने से आतकंवाद का खात्मा होगा जिससे सच्ची शान्ति विश्व धरातल पर स्थापित हो सकेगी। अपने इस दायित्व को निभाने के लिए साहित्यकार व मास–मीडिया के लोगों को संकल्प लेकर आगे आना होगा। •

संविधान के स्वामी नहीं, सेवक हैं न्यायाधीश–जे.वाई. चंद्रचूड

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय न्यायशास्त्र में 'संवैधानिक नैतिकता' लागू करने के महत्व पर जोर देते हुए विविधता, समावेशिता और सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए अदालतों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (पूर्वी क्षेत्र) के दो–दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सी. जे.आई. चंद्रचूड़ ने न्याय वितरण प्रणाली मं तकनीकी प्रगति के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 'समकालीन न्यायिक विकास और कानून एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय को मजबूत करना' शीर्षक वाले सम्मेलन में कहा कि जब लोग अदालतों को न्याय का मंदिर कहते हैं तो मैं मौन हो जाता हूं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि न्यायाधीश देवता हैं, जो वे नहीं हैं। वे इसके बजाय लोगों के सेवक हैं, जो करुणा और सहानुभूति के साथ न्याय करते हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने न्यायाधीशों को 'संविधान के स्वामी नहीं, सेवक' बताते हुए न्यायपालिका को संविधान में निहित मूल्यों के विपरीत निर्णयों में हस्तक्षेप करने वाले न्यायाधीशों के व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वास प्रणालियों के नुकसान के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने देश के संघीय ढांचे को रेखांकित किया, जो बहुत अधिक विविधता से भरा है।

उन्होंने भारत की विविधता को संरक्षित करने में न्यायाधीशों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक व्याख्या के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन न्यायपूर्ण समाज के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन न्यायपूर्ण समाज की स्थापना अदालत के संवैधानिक नैतिकता के दृष्टिकोण से ही होती है।

दो फीसदी हिन्दुस्तान बनाम अट्ठानवें फीसदी भारत

• के.पी. राहुल

भारत के कुछ हिस्सों में प्राथमिक कक्षाओं में देवासुर संग्राम नामक एक कहानी पढ़ायी जाती है। इस कहानी के अनुसार कभी सुरों और असुरों के बीच भारी संग्राम हुआ। कहानी में युद्ध के किसी पर्याप्त कारण का उल्लेख नहीं किया गया। इसी तरह की एक और कहानी 'समुद्र मंथन' के नाम से पढ़ाई जाती है, किन्तु इस बार भी कहानी लेखकों से वही भूल हो गयी और किस समुद्र का मंथन किया गया उल्लेख करना भूल गए। कहानी के अनुसार असुरों और सुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। लेखक इस तथ्य का उल्लेख करना भूल गए कि 'देवासुर संग्राम' और 'समुद्र मंथन' की घटनाएं किस ग्रह पर घटित हुईं। सिर्फ इतना संकेत मिलता है कि देवासुर संग्राम में स्वर्गीय राम के पिताश्री दशरथ (अब स्वर्गीय) ने हिस्सा लिया था और 'समुद्र मंथन' में असुर राजा महाराज बलि ने हिस्सा लिया था।

अब जाकर कहीं डी.एन.ए. की जांच हुई तो पता चला कि विष्णु के सगे–संबंधियों उच्च वर्णों के डी.एन.ए. यूरोपीय लोगों के डी. एन.ए. से साम्य रखते हैं। किन्तु शेष भारतीयों असुरों के डी.एन.ए. से मेल नहीं रखते। यह उन दिनों की बात है जब मैं प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा करता था। उन दिनों हमें पं. जवाहरलाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' का एक अंश पढ़ाया जाता था। नेहरू जी के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और नेहरू जी जैसे लोग उन्हीं आर्यों की संतान हैं। उस समय ज्यादातर सरकारी किताबें उन्हीं लोगों द्वारा लिखी जाती थीं जिनके डी.एन.ए. आज यूरोपीय लोगों से मेल खा रहे हैं।

दुनिया के सभी भूगोलविद् बताते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी का भूस्थल पूरब से पश्चिम तरल पदार्थों की एक पट्टी से विभाजित था। उत्तरी हिस्से को **'लारेंशिया'** कहा जाता था और दक्षिणी हिस्से को 'गोंडवाना'। बाद में भूस्थल की स्थिति में परिवर्तन हुआ और स्थल के टुकड़े हुए। स्थल अपने स्थानों से इधर–उधर खिसके भी। विश्व भूगोल बताता है कि भारत का पश्चिमी हिस्सा अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से मिलता–जुलता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आज का भारत कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था।

सुरों को छोड़कर शेष भारतीय मानवों के डी.एन.ए. अफ्रीकी मानवों के डी.एन.ए. से मिलते हैं वे निश्चित रूप से विदेशी हैं क्योंकि भारत मूलरूप से अफ्रीका (गोडवाना लैण्ड) का हिस्सा रहा है। इसीलिए सुरों का कोई भी आराध्य भारत का ऐतिहासिक प्राणी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। सुरों के सारे–के–सारे अराध्य या तो विदेशी हैं या काल्पनिक। सुरों ने इन अराध्यों को गढ़ा इसलिए है कि इनके नाम पर भारत में जमीन हड़पी जा सके। आखिर सुरों ने कुछ असुरों को गुमराह करके बाबरी मस्जिद ढहा दिया और वहां स्वर्गीय राम का मंदिर होने की अफवाह फैलायी, किन्तु अयोध्या में किसी स्वर्गीय राम के राज महल होने का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। मिलता भी कैसे? अयोध्या तो तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित पंचशील की स्थली है।

भारत में गायों की पूजा की परंपरा काफी नई है। मिश्र में गायों की पूजा की परंपरा काफी पुरानी है। उसके प्रमाण आज भी मिश्र में मिलते हैं। आज भी तमाम यूरोपीय देशों में गायों को समुचित ढंग से नहलाया–धुलाया जाता है और उन्हें वधकर उपयोग किया जाता है। भारत में गाय पूजा भी आयातित है। तथागत बुद्ध ने समस्त प्राणियों पर दया करने का निर्देश दिया हैं तथागत बुद्ध के पंचशील ग्रहण कर महाराजा प्रसेनजित का कौशल राज्य अवध हो गया। तो सुर कौन हैं और असुर कौन हैं? इसकी जांच तो हो ही जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि भारत पौराणिक गप्पों से चलेगा या फिर ऐतिहासिक हकीकतों से? मंदिर अभियान और जिन्ना की सेकुलर गाथा...आदि तमाम तरह के कांड ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाने की गरज से ही जोर–शोर से उठाए जाते हैं।

भारत में श्रमणों की मेहनत से पल रहे कुछ हरिजन (विष्णु के सवर्ण लोग) भारत को **'भारत दैट इज हिन्दुस्तान'** बनाना चाहते थे, किन्तु उनके दुर्भाग्य से भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने का कठिन कार्य बाबा साहब डा. अम्बेडकर को सौंप दिया गया। भारत का इतिहास बताता है कि सुरों ने अंग्रेजों से मेल–मिलाप करके दो सौ वर्षों में भारत को 'इंडिया' में बदल डाला था। आज भी वे अपने इसी कार्य में जुटे हैं। धन्य हैं भारत के महान सपूत बाबा साहब डा. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को अंतिम विदेशी हुक्मरानों से मुक्ति दिलाने के लिए **'इंडिया दैट इज भारत'** (इंडिया जो भारत है) लिख दिया। भारत को आर्यावर्त के रास्ते इंडिया तक पहुंचाने की साजिस में विष्णुओं उच्च वर्ण सवर्णों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। विष्णुओं के सौजन्य से सुरों का सदैव प्रयास रहा है कि भारत को असली भारतवासियों से छीन लिया जाए। कब्जा किसी का भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जिसे ये भारत की आजादी की जंग कहते हैं। वास्तव में वह भारत की आजादी का पर्व नहीं है। अंतिम विदेशी हुक्मरान के हाथ से छीनकर भारत को प्रथम विदेशी के हाथ में सौंपने की बाजीगरी मात्र है।

हकीकत तो अब सामने आ रही है। आर्य भारत में प्रथम विदेशी हैं। तुर्क, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज तो बाद में आए। प्रथम विदेशी आर्य तो इनमें से किसी के विरोधी नहीं रहे। हां, आर्यों का प्रथम और अंतिम दुश्मन सदैव भारत का असली

हिमायती
7 / जनवरी (द्वितीय) 2025 (कुल पृष्ठ 8)
प्रकाशन तिथि : 14 जनवरी, 2025
आर. एन. आई. नं. 40611/62

भारतवासी शूद्र वर्ण अनार्य ही रहा। भारत को तबाह करने में आर्यों ने सभी विदेशियों का साथ दिया।

अभी हाल में मंगल पांडे पर बनी एक फिल्म के कुछ अंशों को लेकर आपत्ति करते हुए कुछ सुरों ने बड़ा बवेला काटा। सुरों का आरोप था कि फिल्मकारों ने मंगल पांडे की इमेज बिगाड़ी। जबकि इमेज बनाने और बिगाड़ने वाले महत्वपूर्ण विभाग पर अब सुरों का ही एकाधिकार बना हुआ है। इन्होंने सदैव विष्णुओं की इमेज बनाई और बुद्धों की इमेज बिगाड़ी।

अब इसी तथ्य को ले लें कि सुर दारू पीते थे और व्यभिचार करते थे। सुरों ने इस तथ्य को छिपाने की भरपूर कोशिश की। इसके विपरीत असुर जीव हत्या और दारू का विरोध करते थे। इस तथ्य को सुरों ने हर तरह से विकृत कर प्रस्तुत किया। यथा सुरों ने कहा कि असुर यज्ञों में विघ्न डालते थे। इन्होंने असुरों को 'पिशाच' और 'निशाचर' कहा। यह नहीं बताया कि यज्ञों में बलि दी जाती थी और दारूखोरी होती थी। यह नहीं बताया कि असुरों ने स्वर्गीय सुरों को पृथ्वी पर अनाचार करने से रोका। ●

समाज-सेवा तथा बुद्धिजीवी वर्ग

• पद्मश्री डा. श्याम सिंह 'शशि'

एक समय था, जब भारतीय समाज की जातियां–जनजातियां तथा अल्पसंख्यक वर्ग और उनके विद्वान, सामाजिक कार्यकर्त्ता व सोशल लीडर्स अपने समाजों, समुदायों को उच्च वर्ण में ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। हिंदू समाज अनेक जातियों, उपजातियों तथा गोत्रों–उपगोत्रों में विभाजित होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रायः एक रहा है। धार्मिक मत–मतान्तर होते हुए भी सभी ईश्वरीय आस्था से जुडे रहते हैं । कुछेक वाममार्गी तथा वामपंथी भी प्रगतिशील होने का प्रदर्शन करने के बावजूद जातीय धरातल पर साष्टांग हो जाते हैं। अलबत्ता जातीय अहं के कारण भारत ने दासता भी कम नहीं झेली। हम भले ही सामाजिक संस्कृति की बात कहें, किंतु विदेशी धरती पर जन्में 'रिलीजन', 'मजहब' तो बने, किंतु हिंदू धर्मावलंबियों के साथ पूर्णता आत्मसात नहीं कर सके। पाकिस्तान के साथ पूर्णतया आत्मसात नहीं कर सके। पाकिस्तान इसी अलगावपन का परिणाम है। गनीमत है नागालैंड, आयरलैंड नहीं बना, जबकि वहां की राज भाषा अंग्रेजी है। पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों को ईसाई बनने के लिए जहां चर्च की जन–सेवा तथा दूरदृष्टि कारगर सिद्ध हुई, वहां रामकृष्ण मिशन अथवा आर्य समाज जैसी समाज सुधारक हिंदू संस्थाओं ने भी इस दिश में अपने कदम बहुत बिलंब से बढ़ाए। कल्हण के कश्मीर के इस्लामीकरण के लिए वहां के पंडित भी उत्तरदायी हैं।

आज लगता है, शायद उनकी सोच में कुछेक ऐसे तथ्य थे जो कभी उर्ध्वगामी संस्कृतिकरण की ओर जातियां उन्मुख हैं। उन दिनों जो पशु–पालक व श्रम प्रधान जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण में जाने के लिए आंदोलन कर रही थीं, आज आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अल्पसंख्यक वर्ग बनने की होड़ लगाए हैं। कुम्भकार, बढ़ई अथवा शिल्पकार कभी 'विश्वकर्मा' ब्राह्मण वर्ण के लिए जनेऊ धारण कर ऊर्ध्वगामी संस्कृतिकरण के पथ पर अग्रसर थे। आज प्रायः सभी उससे उलट चलने में, किसी हीन भावना से नहीं, बल्कि अधिकार भावना से देश भर में छिटपुट आंदोलन कर रहे हैं । जाट, गुर्जर, धनगर, कश्यप आदि जातियों की भी कमोबेश यही स्थिति है। महिला आरक्षण का मुद्दा अलग ढंग से भारतीय समाज में क्रांतिकारी उथल–पुथल लाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

बहुत सी आरक्षित जातियां सवर्ण जातियों से आगे निकल गई हैं तो अधिकांश आज भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। महाराणा प्रताप के सेनानियों के क्षेत्रिय वंशज आज भी 'गाडिया लुहार' का यायावरी जीवन जीते हैं। अनेक बंजारे, नट, कालबेलिया, सांसी, कंजर, पारधी, आदि जातियों को कोई गांव–शहर अथवा मलिन बस्तियां तक में नहीं बसने देता। कतिपय गोस्वामी, आचारज जांगिड ब्राह्मण तथा गैर–अग्रवाली वैश्य जातियां उच्च वर्ण में नाता जोड़ने की बजाय पिछड़े वर्गों में परिगणित होना लाभदायक मानने लगी हैं। जाति प्रथा की विकृतियां न केवल हिंदू समाज, बल्कि के मुस्लिम, ईसाई, सिख तथा अन्य समाजों में भी उच्च–निम्न जातियों के रूप में देखी जा सकती हैं।

अखबारों में मैटरिमोनियल – विज्ञापन देखकर तो लगता है कि आज महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, गुरुनानक, दयानंद–विवेकानंद तक के 'जाति–तोड़क' संदेश मिशन जाति–जोड़क बन गए हैं। अलबत्ता, अपवादस्वरूप शहरों को छोड़कर गांवों में अन्तरजातीय विवाह नगण्य है।

आईए, अब जरा जातीय–भ्रष्टाचार से लेकर शुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार तक पर एक दृष्टि डालें तो, हमें पहले जातीय आधार पर अपने मंदिरों व धर्मस्थलों की अकूत सम्पति की ओर समाज–शास्त्रीय अर्थशास्त्री के रूप में सोचना पड़ेगा। मंदिरों की यह सम्पत्ति अथवा शिवाजी की दान–दक्षिणा ब्राह्मणेतर जातियों के उपभोग के लिए नहीं थी। प्रकारान्तर से यह भी एक जातीय आरक्षण था, जो दलितों, जनजातियों, पिछड़ों, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए संवैधानिक आरक्षण की अपेक्षा आज भी अधिक है। काश, हमारा समाज व संविधान पश्चिम की

भौतिकवादी अंधी दौड़ की अपेक्षा 'सोशल सेक्यूरिटी' अथवा 'बेरोजगारी भत्ता' के कानून को मूल्यपरक शिक्षा के साथ लागू करता। तब न तो किसी आरक्षण की आवश्यकता पड़ती और न ही शायद पेरियार अथवा अम्बेडकरवादी आन्दोलन अपेक्षित होते। होते भी, तो समाज मनौवैज्ञानिक ढंग के होते। अन्ना हजारे तथा बाबा रामदेव आदि की तरह अनशन न करने पड़ते।

अन्ना हजारे का लोकपाल बिल कहीं हिटलर, मुसोलिनी या किसी तानाशाह की तरह काम न करने लगे, इस ओर भी हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संविधान सभाओं को सोचना होगा। बाबा रामदेव का आंदोलन भले ही किसी दल–विशेष द्वारा प्रेरित कहें, किन्तु स्विस बैंकों से धन वापस लाने तथा उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने में उनका विचार एक स्वस्थ दिशा का प्रतीक है। हां, जब तक यह विचार कार्यरूप में परिणित होगा, भ्रष्टाचार की उक्त राशि स्विस–जर्मनी आदि के बैंकों से खाली हो जाएगी। मैनुपुलेटर्स उसे अन्यत्र 'इन्वेस्ट' कर देंगे। इस आन्दोलन का भी कालांतर में वही रूप हो सकता है जो रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में देखने में आया। आज हर्षद मेहता, सुखराम आदि के भ्रष्टाचार द्वारा संचित अपार राशि को लोग भूल गए। कारण, वह पैसा भी कतिपय राजनेता, ब्यूरोक्रेसी तथा अन्य भ्रष्टाचारी समाज में हजम हो गया। आज अचानक अनगिनत हजार या लाख करोड़ रुपये के स्वामी अथवा अरबपतियों का एक नया वर्ग पैदा हो गया है जिसकी जाति तथा धर्म केवल 'पैसा' है। उसकी पीढ़ियां–दर–पीढ़ियां न तो किसी आरक्षण की मोहताज हैं और न ही उन्हें किसी गांधी पथ अथवा अध्यात्म–पथ की दरकार है।

उपयुक्त कुछ समसामयिक तथ्यों के सन्दर्भ में यदि हम अपने वर्तमान बुद्धिजीवी वर्ग की चुनौतियों की ओर वस्तुनिष्ठ भाव से विचार करें, तो देश में समेकीकृत सोच की आवश्यकता प्रतीत होती है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जाति, वर्ग, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर सोचना होगा, भले ही हम उक्त वर्गों में जन्में हो। इस देश में सभी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। अतः विगत के इतिहास से सबक लेकर भावी स्वस्थ पथ का निर्माण करना है। समेकीकृत प्रगति तथा विकास के लिए संघर्ष करना है। आज जहां बेरोजगारी, जातीय विकृति, नारी–शोषण, बालापराध आदि से लेकर भिन्न–भिन्न प्रकार के रोज नए ढंग के अपराधों के विरूद्ध विभिन्न दिशाओं में मिशनरी स्प्रिंट में कार्य करना है, वहां कबीर तथा संतों के उस सत–पथ को भी स्मरण करना अपेक्षित होगा जिसका एक दोहा है–**''साई उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा न रहूं अतिथि भी न भूखा जाए।''** ''अतिथि देवो भवः'' की आर्ष परम्परा तथा अन्य मानवीय सद्गुणों को सभी स्तरों पर शिक्षा का अंग बनाना अनिवार्य है। इस प्रकार की पद्धतियों से भौतिक व आध्यात्मिक, भोग तथा रोग और 'आनोभद्रा' का स्थितप्रज्ञ आलोक अनेकता में एकता की एडवांस कल्चर एवं सर्वांगीण विकास सम्भव है।•

केस लड़ना गरीब की पहुंच से बाहर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वकालत के पेशे के व्यवसायीकरण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि अब अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ना इतना महंगा हो गया है कि यह गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। शीर्ष अदालत के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि लोग अब इस बात से आश्वस्त हो गए हैं कि मुकदमा उनके जीवनकाल में खत्म नहीं होगा।

न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की खण्डपीठ ने कहा कि वकालत को कभी कुलीन पेशे के रूप में जाना जाता था लेकिन मौजूदा दौर में यह पेशा व्यवसायिक पेशे में तब्दील हो गया है। मुकदमा लड़ना इतना महंगा हो गया है कि एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है।

न्यायाधीश ने कहा कि न्याय प्रशासन में न्यायाधीशों के साथ ही वकीलों की समान भागीदारी होती है और वकील संदिग्ध व्यक्ति या सिर्फ मुकदमों के सहारे ही जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जैसा आचरण नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी वकील द्वारा जानबूझकर वादकारी के हितों की अनदेखी करना एक कानून व्यापार नहीं है।

एक वकील अदालत का अधिकारी है और इस नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह सुचारु तरीके से न्यायालय का कामकाज सुनिश्चित करे। वकील को संकट में घिरे व्यक्ति की उम्मीदें जगानी होती हैं और वह असहाय वादी का शोषण नहीं कर सकता।

शीर्ष अदालत ने मुकदमे को लम्बा खींचने और बहस के लिए दूसरे वकील की सेवाएं लेने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की और कहा कि यह तो वादी को अपने जाल में फंसाने जैसा हुआ जो नैतिक रूप से और पेशेगत दृष्टि से ठीक नहीं है।

न्यायालय ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने के लिए उस पर हस्ताक्षर करने वाले 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' की खिंचाई की। यह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुकदमे की सुनवाई के समय एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। **'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड'** के वकील वे होते हैं जिन्हें शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने की पात्रता है।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह का रवैया तो भोले–भोले वादियों के प्रति बहुत ही क्रूरतापूर्ण है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ऐसा आचरण 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' के अनुरूप नहीं है। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर o व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009